न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री बाबुलाल जाट, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 90/2019 दायर दिनाँक 13.03.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी		प्रतिवादीगण
1. मनोहरीखाँ उर्फ मनोहरखाँ पुत्र चाँदखाँ, उम्र–75साल, जाति–शेरानी, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. लाल मोहम्मद पुत्र इब्राहिमखाँ, उम्र–45साल, 2. शोकतअली पुत्र इब्राहिमखाँ, उम्र–42साल, 3. मोहबतअली पुत्र इब्राहिमखाँ, उम्र–40साल, 4. मो0असरफ पुत्र इब्राहिमखाँ, उम्र–20साल, 5. भँवरी पुत्री पुत्र इब्राहिमखाँ, उम्र–50साल, 6. सुखा पुत्री इब्राहिमखाँ, उम्र–48साल, 7. जोरा पुत्री इब्राहिमखाँ, उम्र–38साल, 8. रफिका पुत्री इब्राहिमखाँ, उम्र–32साल, 9. अफरोजबानो पुत्री इब्राहिमखाँ, उम्र–25साल, 10. हाजरा पत्नी इब्राहिमखाँ, उम्र–70साल, 11. सहादतअली पुत्र गनीखाँ, उम्र–35साल, 12. मो0 हुसैन पुत्र गनीखाँ, उम्र–33साल, 13. शकुर पुत्र गनीखाँ, उम्र–31साल, 14. यूसुफअली पुत्र गनीखाँ, उम्र–28साल, 15. यूनुस पुत्र गनीखाँ, उम्र–20साल, 16. रूखसाना पुत्री गनीखाँ, उम्र–22साल, 17. सलामत पत्नी गनीखाँ, उम्र–55साल, 18. सुलेमानखाँ पुत्र चाँदखाँ, उम्र–48साल, 19. जोराबानो पुत्री चाँदखाँ, उम्र–75साल, 20. उमरावबानो पुत्री चाँदखाँ, उम्र–60साल, समस्त,जाति–शेरानी, निवासी–शेरानीआबाद,

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

		तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 27.05.2019

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि, सरहद शेरानीआबाद में खेत खसरा नम्बर 1163/158 रकबा 08.08 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 की पैतृक भूमि है जो संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपर्युक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार गनीखाँ के पुत्र हाकमअली का नोशनल शेयर के हिसाब से रकबा 0.04 बीघा भूमि के राजस्थान सरकार के नाम से स्वीकार हो जाने से वादग्रस्त भूमि का रकबा 08.04 बीघा ही शेष बचा है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 को अपना हिस्सा बन्ट का हिस्सा ग्राम शेरानीआबाद के कॉंकड़ में जमीन के रूप में दिया जा चुका है इसलिए वादग्रस्त भूमि में उनका हिस्सा नहीं है।

वादग्रस्त खसरा नम्बर 1163/158 रकबा 08.04 बीघा भूमि पर वादी अकेले का ही कब्जाकाश्त है व वादी का ही उपयोग–उपभोग चला आ रहा है।

दिनाँक 18.01.2019 को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि को किसी भू–माफिया को बैचाण कर इससे वादी को बेदखल करने की एलानियाँ धमकी वादी को दी। इसलिए वादी ने यह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी का पेश किया।

यह दावा किसी सरकारी भूमि बाबत् नहीं है व तहसीलदार डीडवाना से वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है मगर भूमि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

धारक होने पर आवश्यक पक्षकार होने की वजह से उन्हें वाद बतौर पक्षकार के प्रतिवादी संख्या 21 बनाया गया है।

दिनाँक 18.01.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर उसी दिन नकल खतौनी वादी द्वारा लिये जाने पर बिनाय दावा पैदा हुआ।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद शेरानीआबाद में खेत खसरा नम्बर 1163/158 रकबा 08.04 बीघा भूमि की खातेदारी वादी अकेले के नाम से घोषित की जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 21 के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 की ओर से वाद में इकबालिया जवाब पेश हुआ, जिनकी पहचान वकील श्री मोहम्मद रफीक ने की।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम शेरानीआबाद सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 297/266 खसरा नम्बर 1163/158 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील वादी दावा माफिक डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 ने इकबालिया जवाब पेश कर दावा माफिक डिक्री किये जाने में अपनी–अपनी सहमति पेश कर दी है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

बाद– अवलोकन मिसल, मनन् बहस व विवेचन के, ऐसा प्रतीत होता है कि, हालांकि वादी ने जो वाद प्रस्तुत किया है उसमें प्रतिवादीगण अपनी सहमति पेश करते है मगर इसमें स्टाम्प ड्यूटी की हानि सरकार को रही है जो कि उचित नहीं है। लिहाजा, वादी द्वारा नियमानुसार पंजीयन हेतु दस्तावेज तैयार कर संबंधित उप पंजीयक के समक्ष पेश करें तथा संबधित उप पंजीयक उक्त दस्तावेज का नियमानुसार पंजीयन करें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 90 / 2019
दायर दिनाँक 13.03.2019, निर्णय दिनाँक 27.05.2019
मनोहरीखाँ उर्फ मनोहरीखाँ बनाम् लाल मोहम्मद, वगैरा।

उक्त दस्तावेज पंजीयन होने के पश्चात सरहद शेरानी आबाद के खेत खसरा नम्बर 1163 / 158 रकबा 08.04 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना अज अदालत को न्यायोचित लगता है।

अतः, वाद विवेचन निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है।

आदेश

वादी द्वारा नियमानुसार पंजीयन हेतु दस्तावेज तैयार कर संबंधित उप पंजीयक के समक्ष पेश करें तथा संबधित उप पंजीयक उक्त दस्तावेज का नियमानुसार पंजीयन करें। उक्त दस्तावेज नियमानुसार पंजीयन होने के पश्चात सरहद शेरानी आबाद के खेत खसरा नम्बर 1163 / 158 रकबा 08.04 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के हक में दर्ज की जावे।

(बाबुलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय, आज दिनाँक **27.05.2019** को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner